Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

डॉ0संजीव गुप्ता बनाम ग्राम पंचायत अकबरपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अकबरपुर वगै0

किस्म मुकदमा 223 आर टी एक्ट............अपील संख्या 5/24

GCMS NO 2024/1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.12.24	अपीलांट की और से श्री अशोक निमनका अधिवक्ता उप0। रेस्पो0/वादी सरपंच ग्राम पंचायत अकबरपुर की और से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिह जादौन अधिवक्ता उप0। रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.4.23 को अपास्त किये जाने मे कोई आपत्ति नही होने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। शामिल मिसल किया। अपीलाधीन आदेश व अपील का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के मुकदमा न0 287/2022 उनवानी ग्राम पंचायत अकबरपुर बनाम लैण्ड होल्डर मे पारित निर्णय दिनांक 19.4.23 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलांट के अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होने के कारण धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश किया है। रेस्पो0 ग्राम पंचायत अकबरपुर के अधिवक्ता द्वारा स्वयं ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः आदेश है कि अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के मुकदमा न0 287/2022 मे पारित निर्णय 19.4.23 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्णय आज दिनांक 20.12.24 को खुले इजलास में सुनाया गया। ...प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:09:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner